

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक - प्र010 दलहन अधिप्राप्ति-03/2024

2112 खाद्य, पटना/दिनांक- 19/04/2024

प्रेषक,

डॉ० एन० सरवण कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :- रबी मौसम, 2023-24 में भारत सरकार के Price Support Scheme (PSS) के तहत नेफेड के सहयोग से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य के पंजीकृत किसानों से चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति करने हेतु कार्य-योजना एवं मार्ग-निर्देश के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के तहत दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से रबी मौसम, 2023-24 में भारत सरकार के Price Support Scheme (PSS) के अंतर्गत राज्य के पंजीकृत किसानों से चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने हेतु राज्य सरकार के प्रस्ताव पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या L-15016/35/2024-MPS (142875) दिनांक 04.04.2024 के द्वारा राज्य में चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति करने की अनुमति प्रदान की गयी है तथा रबी मौसम, 2023-24 के लिए चना की अधिप्राप्ति हेतु 13835 मे0टन एवं मसूर की अधिप्राप्ति के लिए 126770 मे0टन का सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रबी मौसम, 2023-24 से चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति के लिए राज्य स्तरीय सर्पोटर (राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण) के रूप में बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया है तथा भारत सरकार के द्वारा केन्द्रीय नोडल अभिकरण के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) को नियुक्त किया गया है। राज्य स्तरीय सर्पोटर, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम द्वारा चना एवं मसूर उत्पादन क्षेत्रों में यथा संभव प्रखंड/अनुमंडल स्तर पर अवस्थित बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम के गोदामों में क्रय केन्द्र की स्थापना की जायेगी तथा पंजीकृत किसानों से चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाएगा।

चना एवं मसूर की पूरी अधिप्राप्ति प्रक्रिया नेफेड के अधिकृत पोर्टल e-Samridhi पर सम्पन्न की जाएगी। ऐसी स्थिति में किसानों का निबंधन, चना एवं मसूर का क्रय, किसानों का भुगतान तथा चना एवं मसूर को CWC/SWC के गोदामों में जमा कराने तक की पूरी कार्रवाई e-Samridhi पोर्टल के माध्यम से सम्पन्न किया जाएगा। चूंकि चना एवं मसूर अधिप्राप्ति का सम्पूर्ण कार्य ऑन-लाईन है, अतएव e-Samridhi पोर्टल पर सभी सूचनाओं को Real Time अपलोड किया जाएगा तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ तीन दिनों के अन्दर उनके बैंक खातों में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

भारत सरकार के द्वारा रबी मौसम, 2023-24 के लिए पत्र संख्या 6-2/2023-FES-ES दिनांक 31.10.2023 के माध्यम से क्रमशः चना एवं मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया है। तदनुसार भारत सरकार से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य, लक्ष्य तथा राज्य सरकार के स्तर से चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति एवं नेफेड के संग्रहण केन्द्रों पर चना एवं मसूर को जमा कराने के लिए अवधि का निर्धारण किया गया है, जो निम्नवत् है :-

1	चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य	5440 /—रूपया प्रति क्वी०
2	मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य	6425 /—रूपया प्रति क्वी०
3	चना एवं मसूर अधिप्राप्ति का लक्ष्य	(1) चना — 13825 मे०टन (2) मसूर — 126770 मे०टन
4	चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति अवधि	20 अप्रैल, 2024 से 15 मई, 2024
5	CWC/SWC के गोदामों पर जमा करने की अवधि	20 अप्रैल, 2024 से 30 मई, 2024 *

* CWC/SWC के गोदामों पर चना एवं मसूर की मात्रा राज्य स्तरीय सर्पोटर द्वारा उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि 30 मई, 2024 होगी।

2. चना एवं मसूर अधिप्राप्ति कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ।

- रबी मौसम 2023-24 में चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति के लिए केन्द्रीय नोडल एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) तथा राज्यस्तरीय सर्पोटर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के बीच एम०ओ०यू० पर हस्ताक्षर सम्पन्न कर अधिप्राप्ति कार्य को निर्धारित समयानुसार प्रारंभ किया जाएगा।
- रबी मौसम, 2023-24 में चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति दलहन उत्पादित क्षेत्रों के पंजीकृत किसानों के माध्यम से की जाएगी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान उनके बैंक खाते में तीन दिनों के अंदर किया जाएगा।
- चना एवं मसूर अधिप्राप्ति हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम राज्य स्तरीय सर्पोटर (राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण) होगा।
- राज्य स्तरीय सर्पोटर, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा चना एवं मसूर हेतु निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता की जाँच कर पंजीकृत किसानों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति कर CWC/SWC के गोदामों में संचारित किया जाएगा, जिसकी दूरी क्रय केन्द्रों से अधिकतम 50 किलोमीटर से भीतर होगी। तदोपरांत अधिप्राप्त चना एवं मसूर की गुणवत्ता के जाँचोपरान्त नेफेड के द्वारा प्राप्त किया जाएगा।
- चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा चना उत्पादित जिलों में यथा संभव प्रखंड/अनुमंडल स्तर पर अवस्थित निगम के सभी गोदामों में क्रय केन्द्रों की स्थापना की जाएगी एवं 20 अप्रैल, 2024 से स्थापित क्रय केन्द्रों को निश्चित रूप से क्रियाशील कर दिया जाएगा।
- राज्य स्तरीय सर्पोटर, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति हेतु चना एवं मसूर उत्पादित क्षेत्रों के किसानों का निबंधन नेफेड के अधिकृत पोर्टल e-Samridhi पर सम्पन्न किया जाएगा।
- किसानों के निबंधन के लिए किसानों से उनके द्वारा धारित जमीन से संबंधित अभिलेख के रूप में लगान रसीद, आधार कार्ड, बैंक पासबुक अथवा रदद किया हुआ चेक के अतिरिक्त उनके द्वारा अधिप्राप्ति कराये जाने वाले चना अथवा मसूर की सूचना प्राप्त कर किसानों का निबंधन नेफेड के पोर्टल e-Samridhi पर किया जाएगा तथा किसानों से प्राप्त उपर्युक्त कागजातों को e-Samridhi पोर्टल पर अपलोड करते हुए उसे अग्रेतर कार्रवाई हेतु संचारित किया जाएगा।
- राज्य स्तरीय सर्पोटर के द्वारा जिला स्तर पर प्रत्येक जिला के लिए एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। जिला स्तर पर नियुक्त नोडल पदाधिकारी चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति हेतु पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे। साथ ही उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति से संबंधित सभी कार्य यथा किसानों का निबंधन, क्रय केन्द्रों की सूचना, अधिप्राप्ति की मात्रा एवं किसानों द्वारा समर्पित जमीन से संबंधित सभी सूचनाओं को नेफेड के पोर्टल e-Samridhi पर विहित प्रपत्र में अपलोड किया जा रहा है।

- ix. किसानों के आधार कार्ड, क्यू0आर0 कोड की स्कैनिंग के लिए प्रत्येक क्रय केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और यदि किसी कारणवश यह संभव नहीं हो पाता है, तो जिला स्तर पर नामित नोडल पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर आधार कार्ड संख्या को मैन्यूली प्रविष्टि किया जा सकता है। किसानों के संबंध में e-Samridhi पोर्टल पर अपलोड किसी भी डाटा में परिवर्तन के लिए राज्य स्तरीय सर्पोटर/जिले के नोडल पदाधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक होगा तथा परिवर्तन से संबंधित अभिलेख को e-Samridhi पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
 - x. नेफेड के e-Samridhi पोर्टल पर निबंधित रैयती किसानों से प्रति किसान 25 क्वी0 चना अथवा 25 क्वी0 मसूर की अधिप्राप्ति की जाएगी। चना एवं मसूर दोनों की अधिप्राप्ति के लिए अधिकतम 25 क्वी0 की सीमा होगी, जिसको ध्यान में रखते हुए चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति सुनिश्चित की जाएगी।
 - xi. गैर-रैयती निबंधित किसानों के द्वारा भी चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति के लिए स्व-घोषणा पत्र पर संबंधित वार्ड सदस्य का सत्यापन प्राप्त कर अधिकतम 15 क्वी0 चना अथवा 15 क्वी0 मसूर की अधिप्राप्ति करा सकेंगे।
 - xii. राज्य स्तरीय सर्पोटर, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसानों से वायदा आधारित चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति नहीं किया जाएगा एवं नेफेड के पोर्टल e-Samridhi पर निबंधित किसानों से अधिप्राप्ति की गयी चना एवं मसूर की मात्रा का लॉट तैयार कर CWC/SWC के गोदामों पर निर्धारित अवधि में जमा कराया जाएगा।
3. राज्य सरकार द्वारा चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति हेतु लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन के लिए प्रत्येक जिले में निम्नांकित व्यवस्था अनिवार्य रूप से अविलंब सुनिश्चित कर ली जाए :-
- (1) **लक्ष्य एवं क्रय केन्द्र का निर्धारण।**
 - i. रबी मौसम, 2023-24 के लिए भारत सरकार के द्वारा चना की अधिप्राप्ति के लिए 13835 मे0टन एवं मसूर की अधिप्राप्ति के लिए 126770 मे0टन का सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित उपर्युक्त लक्ष्य को सांकेतिक लक्ष्य माना जाए एवं जिलों के वास्तविक उत्पादन के 25 प्रतिशत मात्रा के समतुल्य रैयती तथा गैर-रैयती किसानों के लिए निर्धारित अधिप्राप्ति की मात्रा के अनुरूप चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति की जाए।
 - ii. राज्य स्तरीय सर्पोटर, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम द्वारा दलहन उत्पादित क्षेत्रों के यथा संभव प्रखंड/अनुमंडल स्तरीय गोदामों में क्रय केन्द्र की स्थापना कर नेफेड के e-Samridhi पोर्टल पर निबंधित किसानों से सीधे चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति कर क्रय केन्द्रों से अधिकतम 50 किलोमीटर की दूरी पर चयनित CWC/SWC के गोदामों में सुरक्षित संचारित करने का दायित्व होगा।
 - iii. बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम के चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति हेतु स्थापित क्रय केन्द्रों पर गुणवत्ता की जाँच के लिए गुणवत्ता नियंत्रक की तत्काल प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
 - (2) **चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित क्रय केन्द्रों पर निम्नांकित तैयारी अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए :-**
 - i. किसानों के निबंधन के लिए क्रय केन्द्रों पर इन्टरनेट, कम्प्यूटर/लैपटॉप, क्यू0आर0 कोड स्कैनर आदि की व्यवस्था।
 - ii. क्रय केन्द्रों पर प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भण्डारण हेतु समुचित व्यवस्था।
 - iii. माप-तौल यंत्र की व्यवस्था।
 - iv. नेफेड के e-Samridhi पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से संबंधित सूचनाओं को अपलोड करने की व्यवस्था।

- v. पर्याप्त रोशनी एवं विद्युत की व्यवस्था।
- vi. योग्य कर्मियों एवं गुणवत्ता नियंत्रकों की प्रतिनियुक्ति।
- vii. पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त आवश्यक पंजियों का संघारण तथा प्रत्येक दिन किसानों से अधिप्राप्ति की गयी चना एवं मसूर को संग्रहण केन्द्रों पर जमा कराने हेतु समुचित परिवहन की व्यवस्था।
- viii. निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत किसानों को भुगतान की व्यवस्था।
- ix. क्रय केन्द्रों पर तारपोलिंग/तीरपाल की व्यवस्था।

(3) भण्डारण की व्यवस्था।

- (1) रबी मौसम, 2023-24 में चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति के लिए राज्य स्तरीय सर्पोटर, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा दलहन उत्पादित क्षेत्रों में प्रखंड स्तर पर क्रय केन्द्र की स्थापना की जानी है तथा अधिप्राप्ति से प्राप्त चना एवं मसूर की मात्रा को क्रय केन्द्र से अधिकतम 50 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित CWC/SWC के सुरक्षित गोदामों में संघारित किया जाना है। ऐसी स्थिति में राज्य स्तरीय सर्पोटर का यह दायित्व होगा कि CWC/SWC के गोदामों को अधिप्राप्ति प्रारंभ होने के पूर्व चिन्हित कर लिया जाए तथा अवशेष भण्डार शून्य का प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसे क्रियाशील कर लिया जाए।
- (2) राज्य स्तरीय सर्पोटर, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम चना एवं मसूर हेतु चयनित CWC/SWC के गोदामों में निम्नलिखित व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेगा :-
 - i. निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप गुणवत्ता की जाँच के लिए गुणवत्ता नियंत्रक की प्रतिनियुक्ति के साथ अन्य व्यवस्था।
 - ii. नये गन्नी बैग की व्यवस्था।
 - iii. गन्नी बैग की सिलाई एवं क्यू0आर0 कोड टैग की व्यवस्था।
 - iv. पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था।
 - v. गोदामों पर आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त योग्य कर्मियों की व्यवस्था।
 - vi. प्रतिदिन e-Samridhi पोर्टल पर सूचना अपलोड करने हेतु आवश्यक संसाधन के अतिरिक्त कर्मियों की व्यवस्था।
 - vii. Electronic माध्यम से निर्धारित समय-सीमा में किसानों को भुगतान की व्यवस्था।

(4) क्रय केन्द्रों पर किसानों से प्राप्त किये जाने वाले कागजात।

- i. नेफेड के e-Samridhi पोर्टल पर निबंधित रैयती/गैर-रैयती किसानों के पहचान के लिए पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति अथवा अन्य मान्यता प्राप्त पहचान पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा, जिसके आधार पर e-Samridhi पोर्टल पर निबंधित किसानों की सूची से मिलान कर निर्धारित मात्रा के अनुरूप चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति की जाएगी।

(5) भुगतान की व्यवस्था।

- i. बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम के क्रय केन्द्रों पर पंजीकृत किसानों की सूची से मिलान किये जाने के पश्चात किसानों को उनके द्वारा अधिप्राप्ति करायी गयी चना/मसूर की प्राप्ति से संबंधित रसीद उपलब्ध करायी जाएगी, जिसपर क्रय किये गये चना/मसूर की मात्रा, मूल्य एवं भुगतान की संभावित तिथि अंकित होगी। किसानों को उक्त के आधार पर उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी बैंक की खातों में तीन दिनों के अंदर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। जिला स्तर पर नामित नोडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि किसानों के भुगतान किसी भी परिस्थिति में लंबित न रहे एवं भुगतान से संबंधित आवश्यक प्रतिवेदन प्रत्येक दिन बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम मुख्यालय में समर्पित किया जाना बाध्यकारी होगा।

(6) **जिला स्तर पर प्रबंधन/अनुश्रवण /पर्यवेक्षण की व्यवस्था।**

- i. रबी मौसम, 2023-24 से चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति कार्य के अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जिनके द्वारा जिला अंतर्गत चना एवं मसूर अधिप्राप्ति हेतु संचालित क्रय केन्द्रों का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण /निरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि दलहन की अधिप्राप्ति में पारदर्शिता बनी रहे।
- ii. अनुश्रवण/पर्यवेक्षण /निरीक्षण की पूरी प्रक्रिया नेफेड के e-Samridhi पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही राज्य स्तरीय सर्पोटर द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक दिन अधिप्राप्ति क्रय केन्द्रों पर क्रय किये गये चना एवं मसूर की मात्रा/भुगतान एवं अन्य कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन को e-Samridhi पोर्टल पर अपलोड करेंगे एवं उसकी एक प्रति निगम मुख्यालय को भेजते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भी उपलब्ध कराएंगे।

(7) **राज्य स्तरीय सर्पोटर के CWC/SWC गोदामों पर Enforcement Officer की प्रतिनियुक्ति।**

- i. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा चयनित CWC/SWC के गोदामों से नेफेड के संग्रहण केन्द्रों पर चना एवं मसूर को सुपूर्द करने के लिए नेफेड के द्वारा प्रतिनियुक्त Enforcement Officer के माध्यम से Acceptance Order निर्गत किया जाएगा, जिसके आधार पर नेफेड के संग्रहण केन्द्रों पर चना एवं मसूर की मात्रा को प्राप्त किया जाएगा।

4. **रबी मौसम, 2023-24 से चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति हेतु विभिन्न स्तरों (पदाधिकारियों/विभागों) की भूमिका।**

(1) **जिला पदाधिकारी की भूमिका।**

- i. जिला अंतर्गत चना एवं मसूर हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति CWC/SWC के गोदामों में संचारण तथा नेफेड के संग्रहण केन्द्रों पर हस्तगत कराने की जिला स्तर पर पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला पदाधिकारी की होगी।
- ii. राज्य स्तरीय सर्पोटर के द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों का निरीक्षण एवं वास्तविक किसानों से पारदर्शी तरीके से चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति कराने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।
- iii. क्रय केन्द्रों पर प्रत्येक दिन अधिप्राप्ति की गयी चना एवं मसूर की मात्रा तथा नेफेड के संग्रहण केन्द्रों पर उक्त मात्रा को प्राप्त कराये जाने से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भेजना।
- iv. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों एवं CWC/SWC के गोदामों पर आवश्यकता अनुरूप आरोप रहित अनुभवी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना।
- v. राज्य मुख्यालय से सम्पर्क बनाये रखना।

(2) **जिला पदाधिकारी की विशेष शक्तियाँ।**

- i. दलहन उत्पादित जिलों में स्थापित क्रय केन्द्रों में चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति का सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित जिला पदाधिकारी आवश्यकता के अनुरूप किसी भी विभाग के पदाधिकारी/कर्मचारी को अधिप्राप्ति कार्य में प्रतिनियुक्त कर सकेंगे।

(3) **राज्य स्तरीय सर्पोटर (राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम की भूमिका।**

- i. दलहन उत्पादित क्षेत्रों में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के प्रखंड स्तरीय गोदामों में चना एवं मसूर अधिप्राप्ति हेतु क्रय केन्द्र स्थापित करना एवं निर्धारित समयानुसार उसे क्रियाशील बनाना तथा पर्याप्त निधि का प्रबंध करना।
- ii. चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति सम्पन्न किये जाने एवं किसानों को भुगतान सुनिश्चित किये जाने के लिए राशि की व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्रवाई करना।
- iii. स्थापित क्रय केन्द्रों पर तिरपाल, माप-तौल मशीन के अतिरिक्त किसानों के निबंधन हेतु उपकरण तथा आवश्यक कार्य-बल उपलब्ध कराना।

- iv. प्रत्येक दिन चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति के पश्चात उसकी गुणवत्ता की जाँचोपरांत CWC/SWC के गोदामों में भण्डारण के लिए परिवहन आदि की व्यवस्था करना।
- v. किसानों के निबंधन के लिए जमा कराये गये आवश्यक दस्तावेज को जिला स्तर पर सुरक्षित रख-रखाव की व्यवस्था करना।
- vi. अधिप्राप्ति कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों के लिए प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना।
- vii. चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति से संबंधित अद्यतन सूचना नेफेड के e-Samridhi पोर्टल पर अपलोड कराना एवं प्रत्येक दिन अधिप्राप्ति की मात्रा एवं किसानों को किये गये भुगतान से संबंधित प्रतिवेदन खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को उपलब्ध कराना।
- viii. प्रखंड स्तरीय स्थापित क्रय केन्द्रों पर इन्टरनेट की सुविधा के अतिरिक्त कम्प्यूटर, मोबाईल एवं क्यू0आर0 कोड स्कैनर आदि की व्यवस्था करना।
- ix. जिला स्तर पर चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति के लिए नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति करना।

(4) **चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की भूमिका।**

- i. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य स्तरीय सर्पोटर, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम चना एवं मसूर अधिप्राप्ति से संबंधित सभी कार्रवाई कुशलता एवं पारदर्शी ढंग से करे।
- ii. नोडल विभाग के हैसियत से राज्य स्तरीय सर्पोटर, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम तथा विभाग के बीच समन्वय का कार्य करना।
- iii. राज्य स्तरीय सर्पोटर से चना एवं मसूर अधिप्राप्ति से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन का संकलन कर अग्रेतर सूचनाओं से अवगत कराना।

(5) **स्थानांतरण एवं अवकाश पर प्रतिबंध।**

- i. चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में स्थानांतरित/प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी दलहन अधिप्राप्ति से संबंधित सभी अभिलेख एवं भण्डार का पूर्ण प्रभार सौंपने के पश्चात ही विरमित किए जाएंगे।
- ii. चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अत्यंत आवश्यक स्थिति उत्पन्न होने के पश्चात सक्षम प्राधिकार के स्तर से पूर्व अनुमति प्राप्त कर अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र010 दलहन अधिप्राप्ति-03/2024

2112

खाद्य, पटना/दिनांक-

19/04/2024

प्रतिलिपि - माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र010 दलहन अधिप्राप्ति-03/2024

2112

खाद्य, पटना/दिनांक-

19/04/2024

प्रतिलिपि - सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र010 दलहन अधिप्राप्ति-03/2024

खाद्य, पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि - प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना/शाखा प्रबंधक, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, मर्यादित (नेफेड), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र010 दलहन अधिप्राप्ति-03/2024

खाद्य, पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र010 दलहन अधिप्राप्ति-03/2024

खाद्य, पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि - संयुक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र010 दलहन अधिप्राप्ति-03/2024

खाद्य, पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि - माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।